No.- 57/02/2021-P&PW(B)/7138
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, Dated: 14.10.2024

Office Memorandum

Subject: Submission of six-monthly report on status of implementation of NPS through the NPS oversight mechanism online portal - reg.

Undersigned requests to refer to this Department's O.M. of even number dated 04.06.2024 regarding submission of six-monthly report of NPS through the NPS OSM Portal for October, 2023 to March, 2024 pursuant to the instructions of Department of Expenditure vide OM No. 1(24)/EV/2016 dated 02.07.2019.

2. It is advised in the aforesaid instructions that an NPS oversight mechanism would be set up in each Ministry/Department to ensure proper monitoring of NPS contributions and ensuring that the same are regularly getting credited into the individual accounts of the employees covered under NPS and a 6- monthly status report may be sent to the DoPPW.

3. This Department circulated vide letter dated 07.06.2021 a prescribed format for the said report. Further DoPPW developed a portal with URL **https://pensionersportal.gov.in/NPS** for further facilitation. It was requested to furnish details of Nodal officers who would be handling the portal to this Department and also to submit the six monthly reports through the said portal. An user manual for handling the portal was also provided.

4. 50 Ministries/Departments have furnished details of Nodal officers who have been registered on the portal by this Department. Further 34 Ministries/Departments submitted their report online through the portal during the last six-monthly period. Now, report for the six-monthly period from April, 2024 to September, 2024 is due for submission.

5. In view of the above, all Ministries/Departments are requested to submit their six monthly reports for the period April, 2024 to September, 2024 through the NPS OSM portal.

14/10/2024

(Dhrubajyoti Sengupta)
Joint Secretary to the Government of India

Financial Advisors,
All Ministries / Departments

सं.- 57/02/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)/7138

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 14.10.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र(एनपीएस ओएसएम) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति पर छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी, व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(24)/ईवी/2016 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति पर अक्टूबर, 2023 से मार्च, 2024 की छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 04.06.2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का अनुरोध करते हैं।

2. उपर्युक्त अनुदेशों में यह सलाह दी गई है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) अंशदानों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने और उस राशि का नियमित रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एनपीएस निरीक्षण तंत्र स्थापित किया जाएगा और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को एक छमाही रिपोर्ट भेजी जाए।

3. इस विभाग के दिनांक 07.06.2021 के पत्र द्वारा छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक निर्धारित फॉरमेट भी परिचालित किया गया। इसके अतिरिक्त, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने और अधिक सुविधा के लिए एक पोर्टल विकसित किया जिसका URL **https://pensionersportal.gov.in/NPS** है। साथ ही इस पत्र में, इस विभाग के पोर्टल को हैंडल करने वाले नोडल अधिकारियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने और उक्त पोर्टल के माध्यम से छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। पोर्टल को हैंडल करने के लिए एक उपयोगकर्ता पुस्तिका भी उपलब्ध कराई गई थी।

4. 50 मंत्रालयों/विभागों ने अपने नोडल अधिकारियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जिन्हें इस विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, पिछली छमाही अवधि के दौरान 34 मंत्रालयों/विभागों ने पोर्टल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की। अब, अप्रैल, 2024 से सितंबर, 2024 तक की छमाही अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र(एनपीएस ओएसएम) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, अप्रैल, 2024 से सितंबर, 2024 तक की अवधि के लिए अपनी छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

वित्तीय सलाहकार,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग